<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>4/02/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधान के तहत दिनांक 03.02.2025 के आदेश के तहत 26.30 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो जर्मनी आधारित कंपनी अर्थात एचयूएफ हल्सवर्क एंड फर्स्ट जीएमबीएच एंड कंपनी केजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों द्वारा अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित हुई है, ऐसी पाई गई। कुर्क की गई संपत्तियों में 24 अचल संपत्तियां शामिल हैं जो मेसर्स एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 02 पूर्व कर्मचारियों अर्थात् सुनील कुमार गर्ग (पूर्व एमडी), निखिल अग्रवाल (पूर्व वित्त प्रमुख), उनके परिवार के सदस्यों, फर्मों के नाम पर थीं।

ईडी ने एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संदीप जगदीश चौधरी द्वारा कंपनी के पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ 139 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर चाकन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस अधिकारियों ने आईपीसी, 1860 की धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471 और 34 के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि वर्ष 2010 से 2020 के दौरान मेसर्स एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके खरीद आदेशों में हेरफेर और दुरुपयोग करके, नकली चालान बनाकर, माल रसीद नोट (जीआरएन) बनाने के लिए मेसर्स एचयूएफ नकली स्टांप का उपयोग करके मेसर्स एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को धोखा दिया था और बिना कोई माल/सेवा प्राप्त किए विक्रेताओं को धनराशि जारी कर दी थी। इसके अलावा, विक्रेताओं ने कंसल्टेंसी सेवाओं की आड़ में सुनील कुमार गर्ग, निखिल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों और फर्मों के बैंक खातों में धनराशि वापस स्थानांतरित कर दी थी, जबकि ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा, सुनील कुमार गर्ग, निखिल अग्रवाल ने मेसर्स एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न विक्रेताओं से कमीशन राशि प्राप्त की थी, उन्हें धमकी देकर कि कमीशन राशि का भुगतान नहीं करने पर उनकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। आरोपी व्यक्तियों ने धनराशि को अपने बैंक खातों, अपने परिवार के सदस्यों के खातों के साथ-साथ अपने द्वारा बनाई गई फर्जी फर्मों के खातों में स्थानांतरित कर लिया तथा प्राप्त पीओसी का उपयोग सुनील कुमार गर्ग, निखिल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों तथा फर्मों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां अर्जित करने में किया।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत 04.09.2024 को आरोपी व्यक्तियों और विक्रेताओं के परिसरों पर तलाशी ली थी, जिसके दौरान बैंक खाते, एफडी, शेयर और म्यूचुअल फंड में 10.15 करोड़ रुपये के निवेश को फ्रीज कर दिया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।